जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001 email-dsjdajodhpur@gmail.com
email-jdajodhpur -rj@nic.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

गोद दिये जाने बाबत प्रस्तावित नियम एवं शर्ते

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संधारित किए जा रहे सार्वजनिक पार्क/उद्यान/सडकों के सहारे वृक्षारोपण व सडकों के बीच डिवाईडरो/अन्य तिराहे/सर्किलों के रखरखाव हेतु समय–समय पर विभिन्न गोद लेने वाली संस्थाओं द्वारा इनके रखरखाव हेतु गोद लेने की नियम एवं दिशा निर्देशः–

सामान्य निर्देशः–

1. हस्तान्तरित की जोन वाली सुविधाओं पर पूर्ण आधिपत्य जोधपुर विकास प्राधिकरण का होगा।
2. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधा सामान्यतया जहां व जिस हालत में है सम्भलाई जावेगी। इनको संभलवाते वक्त उपलब्ध साधनों आदि का लिखित प्रतिवेदन तैयार कर सुरक्षित रखना आवश्यक होगा एवं निर्धारित समयपूर्ण होने पर सही स्थिति में वापस प्राधिकरण को संभलवाया जावेगा।
3. गोद लेने वाली संस्थाओं को रखरखाव के लिये प्रदत्त सुविधा को किसी अन्य स्वयं सेवी संस्था इत्यादि को वे अपने स्तर पर स्थानान्तरित नहीं कर सकेगी। हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं के विकास एवं संधारण में किसी अन्य संस्था/व्यक्ति का सहयोग लेना चाहे तो उससे प्राप्त संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन जोधपुर विकास प्राधिकरण से करवाने के पश्चात कार्य करवाया जा सकता है। इस प्रकार का कार्य भी अन्य शर्तों के अनुसार ही होगा।
4. विभिन्न गोद लने वाली संस्थायें यदि अपना बोर्ड लगाकर संधारण हेतु संस्था का नाम दर्शाना चाहे तो जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित साईज(1.2 मीटर गुणा 0.40 मीटर) का अनुमोदित स्थल पर बोर्ड लगा सकती है। बोर्ड की लिखावट गोद देने वाली प्राधिकरण समिति द्वारा तय किया जावेगा। सर्किल में 4 बोर्ड, तिराहे पर दो बोर्ड, रोड साईड व मिडियन पर दो बोर्ड एवं पार्क में दो बोर्ड लगायें जा सकेगें। कम्पनी/फर्म के बोर्ड पर प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित किया जा सकता है, विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। बोर्ड की ऊचाई 3 फीट से ऊची नहीं रखी जावेगी। छोटे ट्राइएंगल, सर्किलों में हरित स्थल में आकार के अनुसार छोटे बोर्ड ही लगाये जायेगें।
5. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं पर कोई वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेगी औन न ही किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क लिया जावेगा।
6. आवेदक को धरोहर राशि के रूप में पार्को/सर्किल/ट्राइएंगल/रोड साइडों की दस हजार रूपये (10,000/–) धरोहर राशि प्राधिकरण कार्यालय में डीडी जमा करना होगा।
7. गोद देने का निर्णय आयुक्त, सचिव, संबंधित उपायुक्त, सहायक वन संरक्षक एवं संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की समिति द्वारा अनुमोदन किया जावेगा। कार्य अवधि पूर्ण होने पर " हरित स्थल" को पुनः पूर्ण स्थिति में सही हालत में संभलवाना होगा।
8. गोद दिये गये स्थल पर संधारण के दौरान कोई भी स्थाई या अस्थाई संपति का नुकसान होना पाया गया तो संबंधित जोन के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नुकसान का आकलन कर संस्था से वसूली की जायेगी।
9. नये विकसित स्थल को गोद देने के पश्चात संस्था द्वारा जो भी विकास कार्य करवाये गये है जिसमें जो भी स्थाई या अस्थाई संपति में वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद अवधि नही बढाई जाने की स्थिति में वो संपति जोधपुर विकास प्राधिकरण की ही मानी जावेगी। उस संस्था का कोई अधिकार नहीं होगा।
10. गोद लेने वाली संस्था को 100/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।
11. शर्तों में किसी भी प्रकार का रद्दो बदल, विवाद उत्पन्न होने, किसी शब्द या वाक्य के निर्वचन से संबंधित विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. उपरोक्त शर्तों के संबंध में उत्पन्न विवादों का न्याय क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

संधारण हेतु प्रमुख दायित्व :–

13. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधा आरम्भ में दो वर्ष के लिये होगी तत्पश्चात संधारण कार्य सन्तोषप्रद एवं संधारण कार्य सन्तोषप्रद एवं संधारण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर अगले दो वर्ष के लिये सहायक वन सरक्षक एवं संबंधित जोन के अधिशाषी अभियंता के अनुमोदन से अवधि बढाई जा सकेगी।

14. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं के संधारण हेतु उपयोग में लाये जाने वाले श्रमिक, साम्रगी एवं सभी उपकरण की व्यवस्था गोद लेने वाले को अपने स्तर पर स्वंय के खर्चे पर करनी होगी।

15. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं की मोटरो, उपकरणों, लाईटो के खराब हो जाने पर उनको ठीक कराने का कार्य गोद लेने वाली संस्थाओं द्वारा स्वंय के खर्चे पर किया जायेगा।

16. संधारित की जाने वाली सुविधओं में बिजली–पानी का समस्त व्यय गोद लेने वाली संस्था को ही वहन करना होगा व बिल जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में स्वंय को जमा कराना होगा एवं उसकी रसीद संबंधित जोन के अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में हर महीने जमा करानी होगी। बिजली पानी के बिलों का पुर्नभरण प्राधिकरण द्वारा देय नही होगा।

17. हस्तान्तरित किये जाने वाले हरित स्थलों के संधारण अवधि में यदि किसी प्रकार की स्थायी क्षति होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी गोद लेने वाली संस्था की होगी एवं उसे स्वंय के खर्चे पर सही करना होगा।

18. हस्तान्तरित की जाने वाले हरित क्षेत्र पार्क निश्चित समयावधि में जनताा के लिये खुले रहेगें। गोद लेने वाला यदि पार्क के खुले व बन्द रहने के समय में परिवर्तन करना चाहे तो उसकी स्वीकृति जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करनी होगी।

19. गोद ली गई सस्था द्वारा लगाये गये बोर्ड/विज्ञापन बोर्ड के प्रति कोई कर/स्थानीय कर या कोई शुल्क देय है तो उसका भुगतान गोद लेने वाली संस्था द्वारा ही किया जावेगा।

20. गोद दिये गये हरित स्थलों में शरदकालीन,ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, मौसमी हाईब्रिड वेरायटी की रंग बिरंगे रंगो की फुलवारी के पौधे जैसा कि पिटूनिया, सिनेरेरिया, पैन्जी, बरमीना,डाग फलावर,रानन कूलन आदि लगाया जाना अति आवश्यक है जिससे कि सर्किलो, टाईएंगलो का सौन्दर्यकरण कर शौभा बढाई जा सकें।

उपरोक्त शर्तो के रख रखाव के प्रति अन्य क्या कार्यवाही की जानी उपयुक्त होगी के बारे में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जा सकेगा। आधार सुगमता हेतु कुछ बिन्दु निम्नानुसार अंकित है:–

1 पौधे, दूब एवं क्यारियों को सप्ताह में दो बार तथा वर्ष में कम से कम 120 बार आवश्यकतानुसार पानी देना होगा।गर्मियों में रोजाना आवश्यकतानुसार देना होगा।

2 माह में कम से कम दो बार क्यातरियां में निरई गुडाई व दुब से खरपतवार निकालना होगा।

3 पार्क की क्यारियों में मौसम के अनुरूप फूलों की पौधे लगाना, झाडियों एवं लताओं को तकनीकि दृष्टि से संधारण करना व पेड पौधों को समय पर खाद देना, छटाई इत्यादि समस्त कार्य कराने होगें।

4 माह में दो बार दूब काटने का कार्य करना होगा।

5 आवश्यकतानुसार पार्क क्षेत्र की सम्पूर्ण सफाई की व्यवस्था नियमित रूप से विभिन्न गोद लेने वाली संस्था को करनी होगी।

6 हरित स्थल क्षेत्र की सम्पूर्ण सफाई की व्यवस्था नियमित रूप से विभिन्न गोद लेने वाली संस्था को करनी होगी।

7 जिन हरति स्थल पार्को में वर्तमान में पानी की व्यवस्था नहीं है उन पार्को मे पानी की व्यवस्था विभिन्न गोद लेने वाली संस्था को स्वंय के खर्चे पर करनी होगी।

8 हस्तान्तरित की जाने वाली हरित स्थलों मे लगे हुए पौधे तथा रेलिंग आदि का संधारण गोद लेने वाली संस्थ को स्वंय के खर्चें पर करनी होगी। हरित स्थलों में लगाई गई रेलिंग यदि वाहन दुर्घटना में अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होन पर संस्था/फर्म को शीघ्र मरम्मत करवाया जावेगा या नई लाकर लगाया जावेगा।

नवीन कार्य का अनुमोदनः–

21. विभिन्न गोद लेने वाली संस्था को अगर हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाना आवश्यक समझा जाता है तो उसकी पूर्व स्वीकृति जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। इस प्रकार करायें गये कार्य पर आधिपत्य जोधपुर विकास प्राधिकरण का होगा व किये गये निर्माण कार्य के प्रति कोई राशि/मुआवजा नही दिया जावेगा। इन नवीन निर्माण को प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना हटाया नहीं जा सकेगा।

22. जो संस्थाये हस्तान्तरित की जाने वाली हरित स्थल में अतिरिक्त विकास एवं संधारण करना चाहती है वह स्वयं अपने व्यय पर अपनी ओर से उस पार्क/उद्यान का लेण्ड स्केप प्लान तैयार कर जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी। प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् उसका विकास एवं संधारण संबंधित संस्था द्वारा अपने स्तर स्वयं के व्यय पर किया जा सकेगा। लेण्ड स्केप प्लान में लगाये जाने वाले पौधों/लताओं/वृक्षों व अन्य कार्यवाही का स्पष्ट विवरण अंकित किया जायेगा तथा स्वीकृति मिलने पर तदानुसार ही विकास एवं संधारण कार्य किया जावेगा।

23. यदि किसी हरित स्थल पर बिजली–पानी हेतु कनेक्शन/अतिरिक्त कनेक्शन लेना आवश्यक होगा तो ऐसी किसी भी हालत में ऐसे कनेक्शन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जा सकेगें। बिजली पानी के कनेक्शन गोद लेने वाले के नाम पर नहीं होगा।

प्रतिबन्धित कार्यः–

24. हस्तान्तरित किये जोन वाले हरित स्थलों से किसी भी प्रकार के पेड/पत्तों/फलों/बीजों का विक्रय/हस्तान्तरित नहीं किया जावेगा।

25. पानी व बिजली का उपभोग उद्यान/पार्कों के संधारण के अलावा अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।

26. विभिन्न गोद लेने वाली संस्था द्वारा गोद दिये जाने वाले हरित स्थलों का उपयोग व्यवसायिक व राजनेतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जावेगा एवं किसी प्रकार का मेला/विवाह व अन्य उत्सव मनाये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा, परन्तु जनहित के नितान्त आवश्यक मामलों में जोधपुर विकास प्राधिकरण से पूर्ण स्वीकृति क्रियान्विति की जा सकेगी।

अनुबन्ध की शर्तों के उल्लघंन पर कार्यवाहीः–

27. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय गोद लेने वाली संस्था को 7 दिवस की सूचना देकर बिना कारण बतायें हस्तान्तरित किये गये स्थल को वापिस प्राधिकरण के स्वामित्व में लिया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में विकास कार्य या अन्य किये गये व्यय के प्रति कोई भुगतान देय नहीं होगा।

28. हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं के रखरखाव में कमी पाये जाने पर 7 दिवस का नोटिस जारी कर एग्रीमेन्ट निरस्त किया जा सकेगा ऐसी स्थिति में विकास कार्य या अन्य किये गये व्यय के प्रति कोई भुगतान देय नहीं होगा तथा संस्था द्वारा जमा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकेगी।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साइट का नाम.....के मीडियन/तिकोना/चौराहों/पार्को/ग्रीनबेल्ट/हरित स्थलों इत्यादि को गोद दिये जोने के संबंध में अनुबन्ध

अनुबन्ध–पत्र

(100/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

यह अनुबन्ध जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से सचिव या अधिकृत प्रतिनिधि जिन्हें बाद में **प्रथम पक्ष** के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं श्री ..... प्रबंध निदेशक/निदेशक ..... निवासी..... ..... जिन्हें बाद में **द्वितीय पक्ष** के नाम से संबोधित किया जावेगा के मध्य..... दिनांक को गोद दिए जाने हेतु निम्नांकित शर्तों पर किया गया:–

1. हस्तान्तरित किये जाने वाले स्थलों पर आधिपत्य प्रथम पक्ष का होगा।
2. हस्तान्तरित की जानें वाली जगह सामान्यतया जहाँ व जिस हालत में है सम्भलवायी जाएगी एवं निर्धारित समयपूर्ण होने पर सही स्थिति में वापस प्राधिकरण को सम्भलवायी जाएगी।
3. रख–रखाव के लिये दी गयी जगह द्वितीय पक्ष द्वारा किसी अन्य संस्था या व्यक्ति इत्यादि को अपने स्तर पर स्थानान्तरित नहीं की जा सकेगी।
4. संस्था का नाम प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित साईज (1.2 मीटर 0.40 मीटर) के बोर्ड पर लिखा जा सकेगा तथा साथ ही संस्था का एवं जोविप्रा का लोगो भी इस बोर्ड पर दर्शाया जा सकेगा। बोर्ड की ऊंचाई 3 फीट से ऊंची नहीं रखी जावेगी (सर्किल मे 4 बोर्ड, तिराहे पर दो बोर्ड, रोड साईड व मीडियन पर दो बोर्ड एवं पार्क मे दो बोर्ड लगाये जा सकेगे) छोटे ट्राएंगल, सर्किलों में हरित स्थल में आकार के अनुसार छोटे बोर्ड ही लगोये जावेंगे।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा लगाये गये बोर्ड पर देय स्थानीय कर/शुल्क का भुगतान किया जावेगा।
6. हस्तान्तरित किये जाने वाले स्थलों पर कोई वाणिज्यिक गतिविधिया संचालित नहीं की जा सकेगी और न ही किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क लिया जा सकेगा।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा..... रूपये की जो धरोहर राशि प्राधिकरण में जमा करायी गयी है में से संधारण के दौरान कोई भी स्थाई या अस्थाई सम्पत्ति का नुकसान होने पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा आंकलन किए गए नुकसान के बराबर की राशि प्रथम पक्ष द्वारा आवश्यकता पडने पर काटी जा सकेगी।
8. स्थल को गोद देने के पश्चात द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी कार्य करवाये जाऐंगे, वे स्थल को प्रथम पक्ष को वापस देते समय प्रथम पक्ष की सम्पत्ति माने जाऐंगे।
9. हस्तान्तरित किये जाने वाले स्थल के संधारण हेतु उपयोग में लाये जाने वाले श्रमिक, सामग्री एवं सभी उपकरण की व्यवस्था एवं मोटरों, उपकरणों, लाईटों के खराब हो जाने पर उनको ठीक करानें का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं के खर्चे पर किया जाएगा।
10. संधारित किये जाने वाले स्थल में बिजली–पानी का आवश्यक इंतजाम एवं समस्त व्यय द्वितीय पक्ष को ही वहन करना होगा।
11. हस्तान्तरित किये गये वाला स्थल आरम्भ में दो वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है। तत्पश्चात् संधारण कार्य सन्तोषप्रद एंव संधारण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर अगले दो वर्ष के लिये अवधि बढाई जा सकेगी।
12. हस्तान्तरित की जाने हरित क्षेत्र (पार्क) निश्चित निर्धारित समयावधि में जनता के लिये खुले रहेंगे। द्वितीय पक्ष का यदि पार्क के खुले व बन्द रहने के समय में परिवर्तन करना चाहे तो उसकी स्वीकृति प्रथम पक्ष से प्राप्त करनी होगी।
13. शर्तो में किसी भी प्रकार का रददों बदल, विवाद उत्पन्न होने किसी शब्द या वाक्य के निर्वचन से संबंधित विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयुक्त जोविप्रा का निर्णय अन्तिम एंव सर्वमान्य होगा।
14. उपरोक्त शर्तो के संबंध में उत्पन्न विवादो का न्याया क्षेत्राधिकर जोधपुर होगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा गोद लिए गए हरित स्थलों का उपयोग व्यावसायिक व राजनैतिक गतिविधियों के लिये नही किया जावेगा एवं किसी प्रकार का मेला/विवाह व अन्य उत्सव मनाये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर प्रथम पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति दी जा सकेगी।
16. हस्तान्तरित किये जाने वाले स्थल के रख–रखाव में कमी पाये जाने तथा उपराक्त शर्तों में किसी का उल्लंघन होने या पालना नहीं की जाने पर 7 दिन का नोटिस जारी कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा तथा साथ ही जमा करायी गई धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

दिनांक:.....

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)

जोधपुर शहर स्थित चौराया गोद लेने, वृक्षारोपण कर सौन्दर्यकरण एवं रखरखाव बाबत् आवेदन पत्र

—:: प्रारूप :—

क्रं.स.	विवरण	उपलब्ध जानकारी
1.	नाम चौराया	
2.	नाम संस्था / व्यक्ति	
3.	संस्था के रजिस्ट्रेशन नं.(प्रति संलग्न करे)	
4.	पूरा पता	
5.	दूरभाष नं	
6.	पूर्व मे अगर कार्य किया विवरण एवं दस्तावेज की छाया प्रति	
7.	वर्तमान में अगर कही भागीदारी / दायित्व है तो विवरण,स्थान अवधि अंकित करे।	

नोट :— एक से अधिक चौराया लेने के लिये आवेदन पत्र अलग—अलग प्रस्तुत करे।

दिनांक :—

हस्ताक्षर आवेदक

पूरा नाम —

पता

दूरभाष नं.—